[Logo]

सन्दर्भ: GJC/KP\_Notification/03/85/2007-08/5076 25 जुलाई, 2008

## परिपत्र - 03

## विषय: 2 सालों के लिए वेनेजुएला द्वारा अपरिष्कृत हीरों के निर्यात/आयात पर रोक

भारत में केपीसीएस की एक केपी आयात/निर्यात प्राधिकरण के रूप में रत्न तथा आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद को उपर्युक्त विषय में केपी अध्यक्ष से संचार मिला है।

इस बात का ध्यान दें कि वेनेज़ुएला ने स्वेच्छा से 2 सालों तक किम्बर्ली प्रोसेस सर्टीफिकेशन योजना से अलग होने और अपने हीरों के निर्यात के प्रमाणन को रोकने का निर्णय लिया है।

उपर्लिखित को ध्यान में रखते हुए, अपरिष्कृत हीरों (एचएस कोड 7102.10, 7102.21 या 7102.31) का कोई भी शिपमेंट केपीसीएस प्रतिभागियों, भारत सहित, द्वारा वेनेज़ुएला में आयात **नहीं** होगा या वेनेज़ुएला से निर्यात होगा।

वेनेज़ुएला द्वारा जारी किम्बर्ली प्रोसेस सर्टीफिकेट वेनेज़ुएला से आयात किये गये अपरिष्कृत हीरों के साथ स्वीकार/समर्थित नहीं किया जाएगा और वेनेज़ुएला को निर्यात करने के लिए तात्कालिक प्रभाव से अगले नोटिस मिलने तक केपी सर्टीफिकेट जारी नहीं किया जाएगा।

सभी संबंधित लोगों से निवेदन है कि सख्त पालन करने के लिए उपर्लिखित को ध्यान में रखे।

[Signature]

सब्यासाची रे कार्यकारी निदेशक

## रत्न तथा आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद

(भारत सरकार वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा प्रायोजित)

टॉवर बी, बीई-1010ए, जी ब्लॉक, भारत डायमंड बोर्स, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई 400 051. (भारत)

File\_14\_28023\_KP\_notification\_Translated

फोन: 91-22-2654 4600 फैक्स: 91-22-26544717 CIN: U99100MH1966GAP013486

ई-मेल: kp@gjepcindia.com/ho@gjepcindia.com वेबसाईट:http://www.gjepc.org